सत्यमेव जयते

सूचना पुस्तिका

कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यों के लिए

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

क. भ. नि. सं.

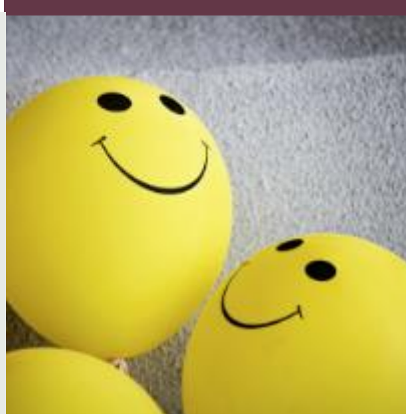

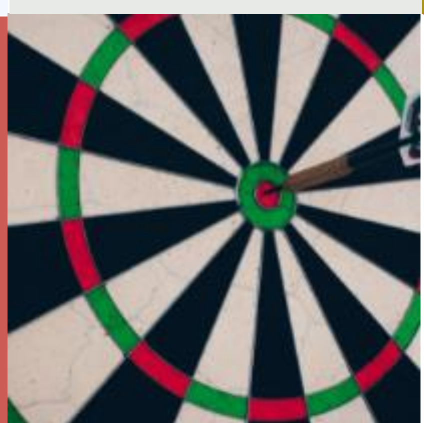
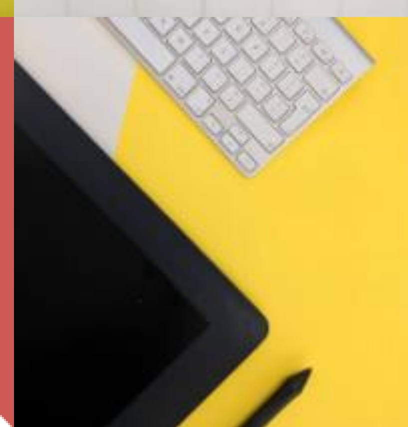

विषय सूची

3
स्वागत

4-6
कर्मचारियों के लाभ

7-8
नामांकन फाइल करना

9
पात्र नामांकित व्यक्ति

10-16
यूएएन केवाईसी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

17
कर्तव्य और उत्तरदायित्व

18
परिवेदना एवं शिकायतें

स्वागत

प्रिय सदस्य,

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठन में से एक, आपका हार्दिक स्वागत करता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जैसा कि आप जानते हैं, संगठित सेक्टर के लाखों मार्मिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा आवृत्ति प्रदान करता है। यह अपने सदस्यों को असंख्य सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें सदस्यों तथा उनके परिवार दोनों का भविष्य निधि, बीमा एवं पेंशन शामिल है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 6.42 करोड़ से अधिक अंशदायी सदस्य हैं जो इसे देश में सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों में से एक बनाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कुल कोष 17 लाख करोड़ से अधिक था। संपत्ति के आकार के संदर्भ में, यह सभी सॉवरेन पेंशन फंडों में आठवें और दुनिया के सभी पेंशन फंडों में सोलहवें स्थान पर है।

देश के कार्यबल के लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आपके साथ भागीदारी करने में हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि आप कानून के तहत उपलब्ध लाभ के प्रति जागरूक हों। व्यवसाय करने में आसानी को देखते हुए, भुगतान सहित सभी लेनदेन/सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है तथा भौतिक संपर्क को हतोत्साहित किया जाता है।

नियोक्ता एवं कर्मचारियों दोनों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ पारस्परिक विचार-विमर्श/इंटरफेस में समर्थन देने हेतु एक सूचना पुस्तिका तैयार की गई है। यह पुस्तिका इस उद्देश्य हेतु सुलभ संगणक के रूप में प्रयोग की जा सकती है।

कर्मचारी – राष्ट्र निर्माण में एक समान भागीदार

कर्मचारियों हेतु उपलब्ध लाभ

- सदस्य के रूप में, आप क.भ.नि.योजना, 1952 में सम्मिलित हो सकते हैं जो कि एक आकर्षक निवेश साधन है जो सेवानिवृत्ति के समय पर्याप्त कोष की गारंटी देता है। इस योजना में अंशदान आपके तथा नियोक्ता के द्‌वारा भी जमा किया जाता है।

- आप कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के सदस्य भी बन जाते हैं तथा अपनी वृद्धावस्था में पेंशन पाने के हकदार बन जाते हैं। आपको अंशदान के रूप में एक रूपया भी अदा नहीं करना है तथा संपूर्ण अंशदान नियोक्ता एवं भारत सरकार द्‌वारा जमा किया जाएगा।

- इसके अतिरिक्त, आप कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के स्वतः सदस्य बन जाते हैं जिसमें एक धनराशि के रूप में बीमा आपके भविष्य निधि शेष के साथ जुड़ जाता है जो सेवा में मृत्यु होने पर परिवार को प्राप्त हो जाता है।

प्रत्येक सदस्य को एकांगी स्थायी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यू.ए.एन) आवंटित किया जाता है जिसको सदस्य जीवन पर्यन्त सेवा के दौरान लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग कर सकता है।

सदस्य को अपने मोबाइल नंबर के साथ अपना यू.ए.एन सक्रिय करना चाहिए तथा के.वाई.सी अर्थात आधार, व्यक्तिगत बैंक खाता संख्या तथा पैन संबंधित यू.ए.एन के साथ अनिवार्य रूप से लिंक करना चाहिए।

नियोक्ता द्‌वारा सदस्य का मासिक अंशदान जमा करने के पश्चात एस.एम.एस अलर्ट।

इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए सदस्य को यू.ए.एन के साथ अपना मोबाइल नंबर लिंक करना चाहिए।

सदस्य की मुख्य भाषा में भविष्य निधि शेष जानने हेतु एस.एम.एस सुविधा।

सदस्य अपने पंजीकृत मोबाइल से 7738299899 पर एक एस.एम.एस EPFOHO<UAN><LAN भेज सकता है।

सदस्य उमंग ऐप का प्रयोग करके अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अपने भविष्य निधि खाते पर नजर रख सकता है।

भविष्य निधि शेष जानने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल देना एवं यू.ए.एन के साथ के.वाई.सी लिंक करने की सुविधा प्रदान करना।

कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत लाभ

स्थिति	सेवा अवधि	धनराशि की निकासी	अन्य सीमाएं
आवास का निर्माण/खरीद	कर्मचारी ने 5 वर्ष की सदस्यता पूर्ण कर ली हो।	घर(साइट) खरीदने के लिए मासिक वेतन का 24 गुना तथा मकान खरीदने एवं निर्माण हेतु मासिक वेतन का 36 गुना निकासी की जा सकती है।	भविष्य निधि खाता धारक एवं उसके पति/पत्नी के नाम पर मकान खरीदने/निर्माण करने हेतु लागू
चिकित्सा उपचार	कोई सीमा नहीं	ब्याज सहित कर्मचारी का भाग अथवा मासिक वेतन का 6 गुना, जो भी कम हो, के समान धनराशि निकाली जा सकती है।	भविष्य निधि खाता धारक स्वयं, अपने माता-पिता, पति/पत्नी एवं बच्चों के चिकित्सा उपचार हेतु निकासी के लिए आवेदन कर सकता है।
सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष के भीतर निकासी	कर्मचारी की 1 वर्ष के भीतर अधिवर्षिता के कारण	कुल धनराशि की 90% निकासी की जा सकती है	केवल सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष के भीतर लागू
मकान की मरम्मत	कर्मचारी ने 5 वर्ष की सदस्यता पूर्ण कर ली हो	मासिक वेतन का 12 गुना के समान राशि की निकासी की जा सकती है	भविष्य निधि खाता धारक एवं उसके पति/पत्नी के नाम पर मकान पर लागू
विवाह/हाई स्कूल के बाद की शिक्षा हेतु	कर्मचारी ने 7 वर्ष की सदस्यता पूर्ण कर ली हो	ब्याज सहित कर्मचारी के भाग का 50% निकासी की जा सकती है।	स्वयं, भाई-बहन एवं बच्चों के विवाह हेतु एवं बच्चों की शिक्षा हेतु लागू

सदस्यों के लिए उपलब्ध अन्य लाभ एवं सुविधाएं

- ऑनलाइन पोर्टल/उमंग ऐप के माध्यम से भविष्य निधि का आंशिक/अन्तिम भुगतान हेतु आवेदन की सुविधा।
- क.भ.नि. ई-पासबुक go पर उपलब्ध है।
- भविष्य निधि खाता कहीं से भी किसी भी समय पर सदस्य द्वारा ऑनलाइन खोला जा सकता है।
- नौकरी बदलते समय भविष्य निधि संचय के स्वतः स्थानान्तरण की सुविधा।
- भविष्य निधि बचतों के लिए घोषित ब्याज दर सावधि जमा/पी.पी.एफ से अधिक है।
- सदस्य अपने वैधानिक मासिक अंशदान के अतिरिक्त स्वैच्छिक रूप से कर्मचारी भविष्य निधि योजना में अंशदान दे सकता है परन्तु अपने भविष्य निधि वेतन से अधिक नहीं।

कर्मचारी पेंशन योजना(ई.पी.एस) एवं कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा योजना (ई.डी.एल.आई.)

कर्मचारी पेंशन योजना के अन्तर्गत सदस्यों को लाभ-

- सदइस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक पात्र सदस्य तथा उनके परिवार को गारंटीकृत पेंशन।.
- स्य को इस योजना के लिए अंशदान देने की आवश्यकता नहीं है।.
- न्यूनतम मासिक सदस्य पेंशन रू.1000/- प्रतिमाह है। (10वर्ष की पात्र सेवा एवं 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर)
- एकमुश्त लाभ निकासी लाभ कहा जाता है, यदि सदस्य उसके वेतन तथा सदस्यता के वर्षों की संख्या के आधार पर की गई गणना के अनुसार 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने से पूर्व नौकरी छोड़ देता है अथवा सेवानिवृत्त हो जाता है, विकल्प के रूप में योजना प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है जिसमें कि वर्तमान एवं गत सेवा का रिकॉर्ड सम्मिलित होगा जो सदस्य को पेंशन का पात्र बनाने हेतु, यदि 10 वर्ष की कुल सेवा हो जाती है, तो एक साथ जोड़ी जा सकती है।
- सेवानिवृत्ति के समय पर यदि सदस्य पेंशन का लाभ लेने की इच्छा रखता है तो निकासी लाभ के स्थान पर योजना प्रमाण पत्र के विकल्प को महत्व दिया जाता है।.
- न्यूनतम विकलांग मासिक पेंशन रू.250/- प्रतिमाह है।(10 वर्ष की पात्र सेवा एवं 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर)
- विधवा/विधुर मासिक पेंशन सदस्य पेंशन का 50% अथवा रू.1000/- जो भी उच्च हो।
- बाल मासिक पेंशन (25 वर्ष की आयु तक अधिकतम दो बच्चों को) विधवा/विधुर पेंशन का 25% है अथवा रू.250/- जो भी अधिक हो।.
- विकलांग बाल पेंशन विधवा पेंशन का 25% है अथवा जीवन पर्यन्त रू.250/- जो भी उच्च हो।.
- अनाथ मासिक पेंशन (माता-पिता के बिना) विधवा पेंशन का 75% अथवा रू.750/- जो भी अधिक हो। (25 वर्ष की आयु तक के अधिकतम दो अनाथ बच्चों को)
- नामित मासिक पेंशन, विधवा पेंशन के बराबर है अथवा रू.1000/- जो भी अधिक हो।.
- आश्रित माता-पिता मासिक पेंशन, विधवा पेंशन के बराबर है अथवा रू.1000/- जो भी अधिक हो।.

ई.डी.एल.आई. के अन्तर्गत सदस्यों को लाभ

- इस योजना के अन्तर्गत सदस्य को अंशदान देने की आवश्यकता नहीं है।
- 15.02.2018 के बाद से मृतक सदस्य वैध उत्तराधिकारी को बीमा लाभ रू.2,50,000/- से कम तथा रू.7,00,000/- से अधिक नहीं होगा।

अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं

- यदि कहीं पर भी कार्यरत नहीं हैं तो 50 वर्ष के पश्चात अर्ली पेंशन लेने का विकल्प उपलब्ध है।
- ई-नामांकन फाइल करने की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है जो वैध उत्तराधिकारी को लिए 'वसीयत' की तरह है।
- सदस्य 58 वर्ष की आयु के पश्चात 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पेंशन भुगतान को मलतवी करके 4% अधिक पेंशन प्राप्त करने का विकल्प चयन कर सकता है।
- नियोक्ता के साथ संयुक्त घोषणा पत्र प्रस्तुत करके उच्च वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी भी भविष्य निधि में शामिल होकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

ई-नामांकन फाइल करना

कर्मचारी भविष्य निधि(ई.पी.एफ)/कर्मचारी पेंशन योजना(ई.पी.एस) का सदस्य बनने पर सदस्यों के लिए अपने उत्तराधिकारियों को नामित करना अनिवार्य है जो सदस्यों की मृत्यु होने पर जमा हुई भविष्य निधि राशि तथा पेंशन लाभ प्रदान करने का अधिकार प्रदान करता है। नामांकन फाइल करने की सुविधा के लिए सदस्य प्रपत्र-2 (भौतिक) प्रस्तुत करने के स्थान पर आधार आधारित ई-नामांकन फाइल कर सकते हैं।

ऑनलाइन माध्यम से अपने नामितों का विवरण देने के लिए सदस्यों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कदमः

"कृपया इस सुविधा का प्रयोग करने के लिए Mozila Firefox 58.0+ browser के डेस्कटॉप वर्जन क प्रयोग करें"

1. सदस्य का मोबाइल नंबर उसके आधार के साथ लिंक होना चाहिए।
2. कर्मचारी भविष्य निधि की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर लॉग ऑन करें तथा लॉगिन करने के लिए अपना यू.ए.एन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) तथा पासवर्ड प्रविष्ट करें।
3. 'View' टैब पर क्लिक करें , उसके बाद जे.पी.जी/जे.पी.ई.जी फॉरमेट में अपना प्रोफाइल फोटो (100 केबी से कम) अपलोड करने के लिए 'Profile' विकल्प पर क्लिक करें तथा स्थाई/वर्तमान पता सहित समस्त आवश्यक विवरण अद्यतन करें।
4. फिर 'Manage' टैब पर क्लिक करें तथा उसके बाद 'E-Nomination' विकल्प पर क्लिक करें।
5. विवरण जैसे यू.ए.एन, नाम, जन्मतिथि, लिंग, पिता/पति का नाम, वैवाहिक स्थिति, स्थायी/वर्तमान पता, कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ) में शामिल होने की तिथि तथा कर्मचारी पेंशन योजना (ई.पी.एस) में शामिल होने की तिथि स्क्रीन पर दिखाई देगी, उक्त विवरणों को सत्यापित करके 'Proceed' विकल्प पर क्लिक करें।
6. अब पारिवारिक घोषणा अद्यतन करने के लिए 'Yes' पर क्लिक करें। सदस्य एक से अधिक व्यक्ति को नामित कर सकते हैं तथा राशि की प्रतिशत में भी वितरित कर सकते हैं जो अपने विवेक के आधार पर अपने नामितों के मध्य फंड में जमा राशि के लिए खड़ा हो सकता है।
7. "पारिवारिक विवरण जोड़ें" पर जाएं तथा जिनको आप नामित करना चाहते हैं उनका विवरण जोड़ें। आधार संख्या तथा आधार के अनुसार नाम तथा जन्मतिथि प्रविष्ट करें। नामित के साथ संबंध, उसका पता, बैंक खाते का विवरण तथा नामित की फोटो (100 केबी से कम) अपलोड करें तथा फिर "पारिवारिक विवरण सेव करें" पर क्लिक करें। यदि नामित अव्यस्क है तो कृपया अभिभावक का विवरण प्रस्तुत करें जैसे अभिभावक का नाम, संबंध तथा पता। "Add Row" पर क्लिक करके आप एक से अधिक व्यक्ति को भी नामित कर सकते हैं।
8. "नामांकन विवरण" पर जाएं तथा अपने नामितों के मध्य प्रतिशत में हिस्से की कुल राशि की घोषणा करें। यदि आप केवल एक व्यक्ति को नामित करना चाहते हैं तो 100% हिस्से की घोषणा कर सकते हैं।
9. "सेव ई.पी.एफ नोमिनेशन" बॉक्स पर क्लिक करें।
10. अब ई-साइन बटन पर क्लिक करें तथा ओटीपी जैनरेट करने के लिए आधार की अपनी वर्चुअल आई.डी.प्रविष्ट करें जो पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी जो कि आपके आधार में लिंक है।
11. आधार ई-साइन सुविधा ई-नामांकन प्रपत्र अनुमोदित करने में सहायता करती है। ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) प्रविष्ट करें।
12. इसके बाद, ई-नामांकन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ पंजीकृत हो जाता है। सिस्टम में आसानी से उपलब्ध नामांकन पेंशन दावों को आसानी से फाइल करने में सक्षम बनाता है। सदस्य की मृत्यु होने पर उसका उत्तराधिकारी अपने आधार लिंक मोबाइल पर ओटीपी आधारित ऑनलाइन दावा फाइल करने में सक्षम होगा। ऑनलाइन नामांकन होने के पश्चात किसी को भी कोई भौतिक दस्तावेज नियोक्ता अथवा पूर्व नियोक्ता के पास आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

ई-नामांकन (प्रपत्र-2) एवं प्रपत्र-11 (घोषणा प्रपत्र)

जो कर्मचारी ई.पी.एफ द्वारा आवृत्त प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं उनके लिए प्रपत्र-11 (स्वयं घोषणा) एवं प्रपत्र-2 (नामांकन) जमा करना अनिवार्य है। इस प्रावधान के द्वारा नियोक्ता भी इन दोनों घोषणाओं को लेने के लिए बाध्य है।

अब प्रपत्र-2 का स्थान ई-नामांकन ने ले लिया है। इसलिए सदस्य को इस अपने लॉगिन में फाइल करना होगा तथा प्रतिलिपि रिकॉर्ड के लिए नियोक्ता को देनी होगी।

आगे, नियोक्ता कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रपत्र-11 जमा कराया जाना भी सुनिश्चित करेगा। जिसमें यू.ए.एन के साथ पूर्व रोजगार का विवरण, भविष्य निधि खाता संख्या, पूर्व रोजगार के संबंध में योजना प्रमाण-पत्र पर आधिपत्य (स्वामित्व), चाहे वह एक अन्तर्राष्ट्रीय कामगार क्यों न हो, के.वाई.सी विवरण आदि पहले से ही दर्ज हों।

प्रपत्र-11 कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में सदस्यता स्थिति तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। प्रपत्र-11 की प्रति का नियोक्ता द्वारा रख-रखाव किया जाना चाहिए तथा सत्यापन हेतु क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा जब भी माँगी जाए प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रपत्र-11 का प्रारूप कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है (www.epfindia.gov.in->Miscellaneous->Downloads->Return Form->Form-11)
अथवा इस लिंक का प्रयोग करें
https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Form11Revised.pdf

पात्र उत्तराधिकारी

उत्तराधिकारी समस्त बचतों,बीमा एवं पेंशन योजनाओं में बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे सदस्य की मृत्यु होने पर भविष्य निधि संचयों/ई.डी.एल.आई तथा पेंशन लाभों का अपना हिस्सा प्राप्त करते हैं।

सदस्य की वैवाहिक स्थिति के आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं पेंशन योजनाओं के लिए दो तरह के उत्तराधिकारी होते हैं। (सामान्य तौर पर, कर्मचारी भविष्य निधि उत्तराधिकारी ई.ड़ी.एल.आई लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। कृपया नोट करें कि केवल नौकरी में रहते हुए मृत्यु होने पर ही ई.डी.एल.आई लाभ दिए जाएंगे।)

कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी पेंशन योजना सदस्यों द्वारा अपने उत्तराधिकारियों का ऑनलाइन विवरण देने के लिए अनुसरण किए जाने वाले कदमः

सदस्य के अविवाहित होने पर परिवारः

लिंग	ई.पी.एफ/ई.डी.एल.आई योजना	ई.पी.एस योजना
पुरुष अथवा स्त्री	आश्रित माता-पिता (हिस्से का प्रतिशत दर्शाते हुए उसके परिवार से संबद्ध एक अथवा एक से अधिक व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है।	आश्रित माता-पिता (अथवा) कोई व्यक्ति

यदि सदस्य के अविवाहित होने पर कोई भी परिवार नहीं हैः

लिंग	ई.पी.एफ/ई.डी.एल.आई योजना	ई.पी.एस योजना
पुरुष अथवा स्त्री	कोई भी व्यक्ति चाहे उससे संबंधित हो अथवा नहीं अथवा उसके संस्थान से भी हो सकता है। (हिस्से का प्रतिशत दर्शाते हुए उसके परिवार से संबद्ध एक अथवा एक से अधिक व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है।	कोई भी व्यक्ति

यदि सदस्य एक विवाहित व्यक्ति हैः

लिंग	ई.पी.एफ/ई.डी.एल.आई योजना	ई.पी.एस योजना
पुरूष	• उसकी पत्नी • उसके बच्चे (चाहे विवाहित हों अथवा अविवाहित) • उसके आश्रित माता-पिता • उसके मृतक पुत्र की विधवा तथा बच्चे	उसकी पत्नी, पुत्र एवं पुत्रियां (सेवा में रहते हुए मृत्यु होने से पहले कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों सहित)
स्त्री	• उसका पति • उसके बच्चे (चाहे विवाहित हों अथवा अविवाहित) • उसके आश्रित माता-पिता • उसके मृतक पुत्र की विधवा तथा बच्चे	उसका पति, पुत्र एवं पुत्रियां (सेवा में रहते हुए मृत्यु होने से पहले कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों सहित)
	हिस्से का प्रतिशत दर्शाते हुए एक अथवा एक से अधिक व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है।	

- यदि नामित करते समय सदस्य का परिवार है तो ई.पी.एफ/ई.डी.एल,आई योजनाओं के लिए नामांकन अपने परिवार से संबंधित एक अथवा अधिक व्यक्तियों के पक्ष में होगा तथा ऐसे सदस्य द्वारा यदि किसी ऐसे व्यक्ति को नामित किया गया है। जो उसके परिवार से संबंधित नहीं है तो यह अवैध होगा।
- सदस्य द्वारा विवाह करने पर नया नामांकन करना होगा तथा विवाह से पूर्व किया गया नामांकन अवैध माना जाएगा।
- नामित करते समय यदि सदस्य का परिवार नहीं है तो नामांकन किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकता है परन्तु यद सदस्य का बाद में परिवार हो जाता है तो ऐसा नामांकन अवैध माना जाएगा तथा सदस्य को नया नामांकन करना होगा।
- सदस्य मैम्बर पोर्टल में ई-नामांकन के माध्यम से अपने उत्तरादिकारियों को कई बार नामित कर सकता है तथा केवल नवीनतम नामांकन ही वैध होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न.1. यूनिवर्सल अकाउंट संख्या (यू.ए.एन) क्या है?

यू.ए.एन. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रत्येक सदस्य को उपलब्ध कराई गई 12 अंकों की एक संख्या है। यू.ए.एन किसी व्यक्ति को आवंटित विभिन्न आई.डी. के लिए एक छाते का काम करता है। यह संख्या यू.ए.एन के अन्तर्गत एक सदस्य को आवंटित विभिन्न आई.डी. को जोड़ने के लिए एक धुरी का काम करती है। के.वाई.सी विवरण से परिपूर्ण यू.ए.एन सदस्य को नियोक्ता के हस्तक्षेप के बिना विभिन्न ऑनलाइन सेवाएं सीधे उपलब्ध कराता है।

प्रश्न.2. के.वाई.सी क्या है?

नो योर कस्टमर (ग्राहक को जानो) अथवा के.वाई.सी एक बार की प्रक्रिया है जो के.वाई.सी विवरण के साथ यू.ए.एन. को लिंक करने के माध्यम से ग्राहकों की पहचान को सत्यापित करने में मदद करता है। निर्बाध ऑनलाइन सेवा सक्रिय करने एवं कर्मचारियों की अद्वितीय पहचान हेतु कर्मचारी/नियोक्ता को के.वाई.सी विवरण जैसे आधार, पैन, बैंक आदि उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

.

प्रश्न.3. नए शामिल हुए कर्मचारी जिनके पास यू.ए.एन नहीं है, उनका यू.ए.एन नियोक्ता कैसे जैनरेट कर सकता है?

प्रतिष्ठान की आई.डी. एवं पासवर्ड का प्रयोग करके नियोक्ता की क.भ.नि. नियोक्ता पोर्टल पर लॉगिन करना तथा नीचे दिए गए कदमों का अनुसरण करना हैः-(Link:https://unifiedportal-emp.epfindia.gov.in/epfo/)

•"मैम्बर" सेक्शन पर जाएं।

•"रजिस्टर इंडीविजुअल" पर क्लिक करें। पूर्व रोजगार का 'नहीं' के रूप में जाँच करें।

•कर्मचारी का विवरण जैसे पैन, आधार, बैंक विवरण आदि प्रविष्ट करें।

•"अनुमोदन" सेक्शन में समस्त विवरण अनुमोदित करें।

•कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा नया यू.ए.एन. जैनरेट कर दिया जाता है तथा नियोक्ता भविष्य निधि खाता कर्मचारी के यू.ए.एन के साथ लिंक कर सकता है।

प्रश्न.4. कर्मचारी अपना यू.ए.एन् स्वयं कैसे जैनरेट कर सकता है?

कर्मचारी यूनिफाइड मैम्बर पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/no-auth/citizenRegistration/viewRegistration? पर जाकर तथा "कर्मचारी द्वारा सीधे यू.ए.एन आवंटन" पर क्लिक करके अपना यू.ए.एन जैनरेट कर सकता है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए पंजीकृत मोबाइल के साथ वैध आधार संख्या प्रथम आवश्यकता है। कर्मचारी को यू.ए.एन प्राप्त करने के लिए रोजगार विवरण उपलब्ध कराना होता है।

प्रश्न.5. सदस्य अपना यू.ए.एन कैसे जान सकता है?

•यूनिफाइड मैम्बर पोर्टल पर जाकर।

•कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रिकॉर्ड्स के अनुसार मोबाइल संख्या प्रविष्ट करें।

•"गैट ऑथोराइजेशन पिन" विकल्प पर क्लिक करें।

•कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ पंजीकृत आपके मोबाइल संख्या पर एक पिन भेजा जाएगा तथा पिन प्रविष्ट करें।

•कर्मचारी भविष्य निधि सगठन रिकॉर्ड्स के अनुसार विवरण जैसे नाम, जन्मतिथि प्रविष्ट करें तथा आधार, पैन, मैम्बर आई.डी. में से एक का चयन करें तथा विवरण पूर्ण करें फिर क्लिक करें "शो माई यू.ए.एन"

•(Link: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/no-auth/uanservice/home?_HDIV_STATE_-20-7-D5AA3A488FD3A31C9F7099F41F121148)

अक्सर पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न.6. सदस्य अपना यू.ए.एन. कैसे सक्रिय कर सकता है?

•कर्मचारी भविष्य निधि पोर्टल पर जाकर "ऐक्टिवेट यू.ए.एन" पर अथवा उमंग ऐप पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की एम्पलाई सेंट्रिक सर्विसेज के अन्तर्गत यू.ए.एन ऐक्टिवेशन पर क्लिक करें।
•निम्न में से किसी एक का चयन करें-यू.ए.एन, मैम्बर आई.डी, आधार अथवा पैन।
•अतिरिक्त विवरण जैसे नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर तथा ई.मेल आई.डी. भरें तथा "गैट ऑथोराइजेशन पिन" पर क्लिक करें।
•कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ऑथोराइजेशन पिन भेजा जाएगा।
•इस पिन को प्रविष्ट करें तथा "वैलीडेट ओ.टी.पी तथा एक्टिवेट पिन" पर क्लिक करें।
•यू.ए.एन सक्रिय हो जाएगा तथा पासवर्ड सदस्य के मोबाइल पर भेजा जाएगा। अब सदस्य अपने यू.ए.एन एवं पासवर्ड का प्रयोग करके यूनीफाइड मैम्बर पोर्टल पर लॉग इन कर सकता है
•(Link: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/)

प्रश्न.7. क्या एक मोबाइल नंबर विभिन्न यू.ए.एन के साथ लिंक किया जा सकता है?

एक मोबाइल नंबर केवल एक यू.ए.एन के साथ पंजीकरण के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

प्रश्न.8. ऑफलाइन प्रणाली द्वारा यू.ए.एन कैसे सक्रिय किया जा सकता है?

जी नहीं। यू.ए.एन पंजीकरण एवं सक्रियण केवल ऑनलाइन ही किया जा सकता है।

प्रश्न.9. क्या संविदा कर्मचारी अपना यू.ए.एन पंजीकृत करा सकते हे तथा ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं?

संविदा तथा प्रत्यक्ष दोनों कर्मचारी पंजीकरण एवं संक्रियण के पश्चात ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

प्रश्न.10. मैं अपना यू.ए.एन किस फॉरमेट में बना सकता हूँ?

पासवर्ड कम से कम एक विशेष अक्षर के साथ,8-25 अक्षर लंबा अल्फान्यूमैरिक होना चाहिए।
विशेष अक्षर है: !@#$%^&*() नमूना पासवर्डः abc@1973

प्रश्न.11. यदि मेरा यू.ए.एन आधार के साथ लिंक नहीं हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ?

मैम्बर पोर्टल पर जाकर सदस्य स्वयं आधार के साथ यू.ए.एन लिंक कर सकता है। उसके बाद नियोक्ता उस लिंक को पूर्ण करने के लिए अनुमोदन करेगा। विकल्पतः सदस्य यू.ए.एन के साथ आधार लिंक करने हेतु अपने नियोक्ता से बोल सकता है। सदस्य नियोक्ता के हस्तक्षेप के बिना आधार के साथ अपना यू.ए.एन. लिंक करने हेतु उमंग ऐप पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अन्तर्गत ई-के.वाई.सी. सेवा अथवा कर्मचारी भविष्य निधि सगठन की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवा के अन्तर्गत ई-के.वाई.सी पोर्टल का प्रयोग कर सकता है।

प्रश्न.12. यू.ए.एन. सुविधा प्रारंभ होने के बाद मेरा यू.ए.एन प्रारंभिक दिनों में ही जैनरेट किया गया था। मेरे नियोक्ता ने इसे गलती से गलत आधार संख्या के साथ लिंक कर दिया। मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ?

सदस्य को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय, जहाँ उसका खाता है, में संयुक्त निवेदन प्रस्तुत करके संशोधन हेतु आवेदन करना होता है।

अक्सर पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न.13. मैं यू.ए.एन के साथ अपना के.वाई.सी विवरण कैसे लिंक कर सकता हूँ?

- यूनिफाइड मैम्बर पोर्टल पर जाकर अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते पर लॉगिन करें।
- "मैनेज" सेक्शन में "के.वाई.सी" विकल्प पर क्लिक करें।
- आप विवरण (पैन, बैंक खाता, आधार आदि), जो यू.ए.एन के साथ लिंक करना चाहते हैं, का चयन कर सकते हैं।
- अपेक्षित क्षेत्र भरें।
- अब "सेव" विकल्प पर क्लिक करें।
- आपका निवेदन "के.वाई.सी. पैन्डिंग फॉर एप्रूवल" के रूप में दिखाई देता है।
- नियोक्ता विवरणों को एप्रूव कर देता है तो मैसेज दिखाई देता है- "डिजीटली एप्रूवड बाय दी एम्प्लॉयर"
- यू.आई.डी.ए.आई आपके विवरणों की पुष्टि कर देता है तो आपके आधार के सामने "वैरीफाइड बाय यू.आई.डी.ए.आई" दिखाई देता है।

प्रश्न.14. बैंक खाते के विवरणों को कैसे लिंक कर सकता हूँ?

- यूनिफाइड मैम्बर पोर्टल पर जाकर अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते पर लॉगिन करें।
- अपना बैंक खाता संख्या तता आई.एफ.एस.सी कोड प्रविष्ट करें।
- विवरण आपके नियोक्ता द्वारा एप्रूव किया जाना है।
- एप्रूव होने पर बैंक खाता लिंक हो जाता है।

प्रश्न.15. क्या मैं पहले से ही लिंक बैंक खाते को लिंक कर सकता हूँ?

जी हाँ। उपरोक्त कदमों का अनुसरण करके सदस्य अपना बैंक खाता अद्यतन कर सकता है। फिर भी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में किसी दावे की लंबितता के दौरान बैंक खाते का विवरण नहीं बदला जा सकता।

प्रश्न.16. बैंक खाता लिंक करते समय मुझे क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

आपको सक्रिय बैंक खाता लिंक करना है जो या तो आपका व्यक्तिगत हो अथवा अपने पति/पत्नी के साथ संयुक्त हो। यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि आपके बैंक खाते की डिपॉजिट कैप आपके निकासी लाभ से ज्यादा न हो।

प्रश्न.17. मैंने अपनी नौकरी बदल दी है। क्या मुझे अपना यू.ए.एन फिर से सक्रिय करना चाहिए?

यू.ए.एन केवल एक बार सक्रिय किया जाना है। नौकरी बदलते समय हर बार आपको इसे सक्रिय नहीं करना है।

प्रश्न.18. यू.ए.एन. पंजीकरण के लिए क्या मुझे कोई शुल्क अदा करना है?

जी नहीं, यू.ए.एन. पंजीकरण निःशुल्क है और इसे सक्रिय करने के लिए आपको कोई शुल्क अदा नहीं करना है।

प्रश्न.19. क्या मैं एस.एम.एस या मोबाइल ऐप के माध्यम से यू.ए.एन सक्रिय कर सकता हूँ?

आप एस.एम.एस के माध्यम से यू.ए.एन सक्रिय नहीं कर सकते। तथापि आप उमंग ऐप के माध्यम से यू.ए.एन सक्रिय कर सकते हैं। उमंग ऐप डाउनलोड करने के लिए कृपया गूगल प्ले स्टोर पर जाएं।

अक्सर पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न. 20 : क. भ. नि. सदस्यों की जन्मतिथि में परिवर्तन के लिए कौन – कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं ?

निम्नलिखित दस्तावेजों में किसी एक को जन्मतिथि के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है :-

- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण – पत्र ।
- किसी स्कूल / शिक्षा से संबंधित प्रमाण – पत्र ।
- केंद्र / राज्य सरकार के संगठन के सेवा अभिलेखों पर आधारित प्रमाण – पत्र ।
- पासपोर्ट ।
- किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी किया गया कोई अन्य विश्वसनीय दस्तावेज़ ।
- उपरोक्तानुसार जन्मतिथि प्रमाण के अभाव में सदस्य का चिकित्सकीय परीक्षण करने के सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण – पत्र और इसके समर्थन में सक्षम न्यायलय द्वारा विधिवत प्रमाणित सदस्य द्वारा दिया गया शपथपत्र ।
- आधार / ई-आधार ।ई.पी.एफ.ओ. में पहले से अभिलिखित जन्मतिथि में अधिकतम तीन वर्ष तक की रेंज बढ़ाने या घटाने के लिए आधार / ई-आधार को स्वीकार किया जाएगा ।

प्रश्न. 21 : यूएएन संचालित सदस्य पोर्टल के माध्यम से सदस्यों को क्या सुविधाएं दी जाती हैं?

यूएएन संचालित सदस्य पोर्टल सदस्यों को निम्नलिखित सुविधा प्रदान करता है:

क. सेवाएं :

- युनिवर्सल खाता संख्या का स्वयं जेनेरेशन ।
- ई-नामांकन
- नाम,जन्मतिथि,लिंग में परिवर्तन ।
- के. वाय.सी विवरण प्रविष्ट करना ।
- पिछले रोजगार से भ.नि. संचय का निर्बाध अंतरण ।महामारी (कोविड -19) के प्रकोप हेतु अग्रिम दावा ।
- आधार आधारित ऑनलाइन दावा प्रस्तुतीकरण ।
- सेवा से बहर निकलने की तिथि की प्रविष्टि ।

ख. सूचना :

- पासबुक डाउनलोड करना ।
- यू.ए.एन कार्ड डाउनलोड करना ।
- ऑनलाइन अंतरण दावे हेतु योग्यता जांचना ।
- 77382 99899 पर 10 भाषाओं में एस.एम.एस भेजकर भ.नि. अंशदान और शेष जानना ।
- 011-22901406 पर मिस्ड कॉल के द्वारा भ.नि. खाता विवरण जानना ।

प्रश्न. 22. क्या मुझे ई.पी.एफ.ओ पोर्टल पर दस्तावेज़ अपलोड करने की आवश्यकता है ?

आपको ई.पी.एफ.ओ पोर्टल पर दस्तावेज़ अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है ।दस्तावेज़ के अनुसार केवल नाम और दस्तावेज़ संख्या निर्दिष्ट की जानी चाहिए ।

प्रश्न. 23. वे न्यूनतम विवरण क्या हैं, जिन्हें ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेने के लिए यू.ए.एन के साथ जोड़ा जाना आवश्यक है ?

मोबाइल, आधार तथा बैंक खाता संख्या ।

अक्सर पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न. 24 ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेने के लिए क्या यू.ए.एन के साथ पैन (PAN) को जोड़ना लाभकारी है?
जी हाँ । यदि आप यू.ए.एन. के साथ अपने पैन (PAN) को जोड़ते हैं, तो आप क.भ.नि.प्रत्याहरण पर कर लाभों का उपयोग कर सकते हैं ।

प्रश्न. 25 : पैन कार्ड और आधार कार्ड में मेरा नाम समान ही है, किंतु मै इसे अपने यू.ए.एन के साथ नहीं जोड़ पा रहा हूँ ?
सफलतापूर्वक के. वाय.सी पूर्ण किए जाने हेतु भ.नि.अभिलेखों में भी वही नाम होना चाहिए, जो आधार और पैन में है । कृपया नोट करें कि पैन कार्ड पर छपा नाम आयकर डेटाबेस में विद्यमान नाम से अलग हो सकता है । ऐसे मामले में इसे यू.ए.एन के साथ सफलतापूर्वक जोड़ने के लिए आपको आयकर डेटाबेस के अनुसार ही नाम प्रविष्ट करना चाहिए । यदि नाम बेमेल है ,तो नाम परिवर्तन का अनुरोध किया जा सकता है ।

प्रश्न.26 : यदि मेरा नियोक्ता के.वाय.सी अनुमोदन नहीं कर रहा है, तो क्या करें ?
यदि आपका नियोक्ता के.वाय.सी विवरणों का अनुमोदन नहीं कर रहा है, तो आप अनुरोध के साथ प्रशासन या मानव संसाधन विभाग से सधे संपर्क कर सकते हैं । यदि इसमे अधिक समय लग रहा है, तो आप इसे संगठन में उच्च प्राधिकारी तक बढ़ा सकते हैं । यदि कोई आपके अनुरोध का जवाद नहीं दे रहा है, तो आप http://epfigms.gov.in के माध्यम से क.भ.नि. से शिकायत कर सकते हैं ।

प्रश्न.27: मुझे इस बात की जानकारी कैसे होगी कि मेरे पास अपडेट की गई के.वाय.सी को नियोक्ता द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है ?
अद्यतित के.वाय.सी दस्तावेज के विरुद्ध उसी पेज पर स्थिति दिखाई जाएगी । सिस्टम आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एस.एम.एस भी भेजेगा ।

प्रश्न. 28 –मेरे नियोक्ता ने गलती से गलत पैन और बैंक खाता विवरण दर्ज कर दिए हैं?
आप अपना सदस्य पोर्टल लॉग इन कर सकते हैं और स्वयं पैन और बैंक खाता विवरण अपडेट कर सकते हैं । उसे नियोक्ता द्वारा डिजिटल रूप में अनुमोदित/अपडेट कर दिया जाएगा ।

प्रश्न. 29: नौकरी छोड़ने के बाद दो माह के अंतराल के बावजूद भी मेरे नियोक्ता ने मेरी नौकरी से बाहर जाने की तारीख को अपडेट नहीं किया है । मै अपनी नौकरी से बाहर जाने की तारीख को कैसे अपडेट कर सकता हूँ ?

- सदस्य यूनिफाइड पोर्टल पर जायें ।
- यू.ए.एन,पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें ।
- मैनेज पर जायें और मार्क एग्जिट पर क्लिक करें ।
- नीचे दिए गए “select employment” से भ.नि खाता सं. पर चयन करें ।
- बाहर जाने की तिथि और कारण दर्ज करें ।
- “Request OTP” विकल्प पर क्लिक करें और अपने आधार से लिंक किये गए मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को दर्ज करें ।
- चेक बॉक्स का चयन करें ।
- “अपडेट ” को क्लिक करें ।
- “OK ” को क्लिक करें ।

अक्सर पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न. 30: अपने यू.ए.एन से लिंक किये गए मोबाइल नंबर को कैसे बदलना है ?
यूनिफाइड पोर्टल के मेम्बर इंटरफ़ेस में लॉग इन करने के बाद " Member Profile " सेक्शन में अपने मोबाइल नंबर को बदलने का प्रावधान है ।

प्रश्न. 31: यदि मेरा मोबाइल आधार के साथ लिंक नहीं है, तो भी क्या में ऑनलाइन दावा आवेदन कर सकता हूँ ?
जी नहीं । यदि आपका आप मोबाइल आधार के साथ लिंक नहीं है, तो ऑनलाइन दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं । दावा प्रस्तुतीकरण के समय ओटीपी केवल आधार से लिंक किये गए मोबाइल पर ही भेजा जाता है ।

प्रश्न. 32: यदि मेरा आधार मोबाइल के साथ लिंक नहीं है, तो मैं क्या करू ?
कृपया अपने निकटतम आधार सेवा केंद्र पर जायें । अधिक जानकारी के लिए आप UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in पर भी जा सकते हैं ।

प्रश्न.33: यदि मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ ,तो में क्या करूँ?
कृपया यूनिफाइड पोर्टल के मेम्बर इंटरफ़ेस में "Forgot Password " पर क्लिक करें । कैप्चा के साथ अपना यू.ए.एन उपलब्ध कराएं । सिस्टम आपके यू.ए.एन के साथ सीड किये गये मोबाइल पर एस.एम.एस भेजेगा और आप पासवर्ड पुनः स्थापित कर सकते हैं ।

प्रश्न. 34: मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ और यू.ए.एन के साथ लिंक मेरा पंजीकृत मोबाइल नंबर भी बदल गया है, तो मैं क्या करूँ ?
कृपया यूनिफाइड पोर्टल के मेम्बर इंटरफ़ेस में "Forgot Password " पर क्लिक करें । कैप्चा के साथ अपना यू.ए.एन उपलब्ध कराएं । सिस्टम पूछेगा कि ओटीपी पंजीकृत मोबाइल पर भेजना है या किसी अन्य मोबाइल पर । सिस्टम आपके मूलभूत विवरण (नाम, जन्मतिथि और लिंग) दर्ज करने को कहेगा । मूलभूत विवरणों के सफलतापूर्वक मिलान हो जाने के बाद सिस्टम आपका आधार या पैन उपलब्ध कराने को कहेगा । यदि के.वाय.सी. विवरण मेल खा जाते हैं, तो सिस्टम नया मोबाइल मांगेगा और ओटीपी नये मोबाइल पर भेज दिया जायेगा । ओटीपी के सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद आप अपना पासवर्ड पुनः स्थापित कर सकते हैं ।

प्रश्न. 35: यदि मैं नौकरी बदल लेता हूँ तथा कहीं और ज्वाइन कर लेता हूँ , तो क्या करना है?
आपको अपने बाद के नियोक्ता को केवल अपना यू.ए.एन बताना होगा ।

प्रश्न. 36: कौन से दावों को ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है?
(ई –नामांकन के बाद) ई.पी.एफ.ओ मेम्बर पोर्टल या उमंग ऐप के माध्यम से आप प्रत्याहरण ,अग्रिम और पेंशन के दावे को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं ।

प्रश्न.37: मैं अपनी पासबुक को कैसे देख/डाउनलोड कर सकता हूँ ?
सर्वप्रथम आपको अपने यू.ए.एन और पासवर्ड के साथ यू.ए.एन मेंबर पोर्टल पर लॉग इन करने की आवश्यकता होगी । फिर "डाउनलोड" मेन्यु पर जायें और "डाउनलोड पासबुक" का चयन करें । इस पासबुक के पी.डी.एफ को डाउनलोड करने के लिए एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा ।

प्रश्न.38: मैं अपने यू.ए.एन कार्ड को कैसे देख/डाउनलोड कर सकता हूँ ?
पहले आपको अपने मान्य यू.ए.एन और पासवर्ड के साथ आपको लॉग इन करने की आवश्यकता होगी । फिर "डाउनलोड" मेन्यु पर जायें और "डाउनलोड यू.ए.एन कार्ड " के विकल्प का चयन करें । यू.ए.एन कार्ड के पी.डी.एफ को भी डाउनलोड किया जा सकता है ।

अक्सर पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न. 39: मैं पासबुक नहीं देख पा रहा हूँ या पासबुक उपलब्ध नहीं है ?
यदि आप किसी छूट प्राप्त प्रतिष्ठान में कार्य कर रहे हैं, तो यू.ए.एन पोर्टल में आपकी पासबुक उपलब्ध नहीं होगी ।भ.नि. विवरण प्राप्त करने के लिए आप अपने प्रतिष्ठान में सम्पर्क कर सकते हैं ।

प्रश्न.40: मुझे दो यू.ए.एन आबंटित हो गए हैं ।मुझे क्या करना चाहिए ?
आपको दो यू.ए.एन आबंटित हो जाने के मामले में,ऐसा आपके पूर्व नियोक्ता द्वारा ई.सी.आर फाइल करते समय निकासी की तिथि ना भरे जाने और/या आपने अपने प्रतिष्ठान में सेवा के अंतरण हेतु आवेदन कर दिया है, के कारण हो सकता है। ऐसे मामले में आपको तुरंत अपने नियोक्ता के साथ ई-मेल के माध्यम से अपने दोनों - वर्तमान तथा पिछले यू.ए.एन का वर्णन करते हुए (uanepf@epfindia.gov.in) पर ई.पी.एफ.ओ को भी मामले की सूचना देने का सुझाव दिया जाता है ।उचित सत्यापन के बाद आपको आबंटित किये गए पिछले यू.ए.एन को ब्लॉक कर दिया जायेगा और वर्तमान के यू.ए.एन को सक्रिय रखा जायेगा ।

प्रश्न.41 मैं अपनी पिछली सदस्य आई.डी.(ज) को लिंक/लिस्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ ?
चूँकि विवरण वर्तमान सदस्य आई.डी. संदर्भ में पिछली सदस्य आई.डी. से मेल खाते है और यदि इनमें नाम आदि में कोई अंतर है, तो सदस्य आई.डी. के लिंक/लिस्ट करने की अनुमति नहीं होगी ।

प्रश्न.42 आधार कार्ड के अनुसार ई.पी.एफ.ओ अभिलेखों में नाम और जन्मतिथि में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है?
- यू.ए.एन,पासवर्ड और कैप्चा प्रविष्ट करें ।
- साइन इन पर क्लिक करें ।
- मैनेज पर क्लिक करें और फिर मोबाइल बेसिक डिटेल पर क्लिक करें ।
- आधार के अनुसार नाम और जन्मतिथि दर्ज करें ।Save/Submit पर क्लिक करें । “Yes” पर क्लिक करें ।
- अपने नाम परिवर्तन अनुरोध को अनुमोदित करने के लिए अपने नियोक्ता को सूचित करें ।
- https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ में वर्णित member यूनिफाइड पोर्टल पर जायें ।

प्रश्न.43: उमंग ऐप के माध्यम से कौन- कौन सी सेवाएँ उपलब्ध कराईं जाती हैं ?
- पासबुक देखना
- ऑनलाइन दावा भरना
- दावों की जानकारी लेना
- यू.ए.एन सक्रिय करना
- यू.ए.एन आबंटन
- जीवन प्रमाण प्रस्तुतिकरण
- पेंशन भुगतान आदेश डाउनलोड करना ।

आपके कर्तव्य और दायित्त्व क्या हैं?

- समय –समय पर अपने भविष्य निधि संचयों की जानकारी लेते रहें ।
- ऑनलाइन सेवाओं का उपभोग करने के लिए सदस्य बन जाने पर तुरंत अपना UAN सक्रिय करें ।
- अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें और किसी भी कारण से इसे किसी अन्य के साथ साझा न करें|
- E.P.F.O से लेन-देन करते समय अपने मोबाइल पर प्राप्त O.T.P(One time Password) को कभी भी किसी अन्य के साथ साझा न करें ।
- याद रखें कि अपनी लॉग इन साख की गोपनीयता को बनाये रखने के लिए आप जिम्मेदार होंगे ।
- आपके भविष्य निधि खाते में आपके नियोक्ता द्वारा मासिक जमाओं में किसी विसंगति के संबंध में सूचित करें ।
- सदस्य पोर्टल पर पहुँचने में आ रही किसी भी तकनिकी कठिनाई को अपने नियोक्ता और E.P.F.O के संज्ञान में लायें ।
- अपनी वित्तीय जरूरतों की पूर्ति हेतु अपने P.F खाते को किसी भी बैंक खाते की तरह इस्तेमाल ना करें ।इसका अर्थ आपकी वृधावस्था में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश के साथ दीर्घ अवधि धन सृजन करना है ।इसलिए अपने खाते से अग्रिम बहुत ही जरूरी होने पर तथा केवल योजना में इसके लिए उपलब्ध कारणों या विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु ही लिए जायें ।
- जब कभी आप नौकरी बदलते हैं,तो कृपया अपनी भ. नि संचयों तथा नए पेंशन खाते में अपनी सेवा अवधि का भी अंतरण सुनिश्चित कर लें ।
- यदि किन्हीं भी कारणों से आपको एक से अधिक U.A.N आबंटित हो जाते हैं, तो Filing Transfer application के द्वारा उन्हें सबसे बाद के U.A.N में मिलाने के लिए कदम उठायें ।यह आपकी समस्त भ.नि. संचयों को एक स्थान पर एकत्र करने में सहायता करेगा और इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि आप पेंशन प्राप्त करने के लिए योग्य होने हेतु आपके पास न्यूनतम अपेक्षित वर्षो की संख्या (10वर्ष) से अधिक होगी ।
- फर्जी वेबसाइट और जालसाज मेल्स से सावधान रहें, जो आपके पासवर्ड और भ.नि. संचयों को चुराने की तलाश में रहते हैं ।कृपया नोट करें कि https:/www.epfindia.gov.in ही E.P.F.O के एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट है तथा Umang एकमात्र आधिकारिक एप है ।
- अपने यू.ए.एन को आधार, बैंक खाता जैसे के.वाई.सी दस्तावेजों के साथ सीड करें और ई.पी.एफ.ओ की सेवाओं का लाभ लेने के लिए यह भी सत्यापन करें कि आपके सारे दस्तावेजों में आपका नाम,पिता का नाम,जन्मतिथि और लिंग एक जैसे ही हैं ।
- किसी भी विसंगति की स्थिति में अपने नियोक्ता के माध्यम से इसे ठीक करा लें ।
- किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में अपने परिवार को लाभ प्राप्त करने योग्य बनाने के लिए अपने ई-नामांकन भरें ।
- EPFiGMS (कर्मचारी भविष्य निधि इन्टरनेट आधारित शिकायत प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से ई.पी.एफ.ओ की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी शिकायतें करने में संकोच ना करें

यदि आपके पास कोई समस्या या शिकायत है,तो आप क्या कर सकते हैं?

- यदि किसी सदस्य को कोई समस्या या शिकायत है, तो ई.पी.एफ.ओ के मुद्दों को उठाने के लिए उसका स्वागत है,जिसके कई साधन उपलब्ध हैं:-
- सदस्य EPFIGMS (http://epfigms.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकते हैं ।
- फाईलिंग एक साधारण मोबाइल OTP आधारित पद्धति के माध्यम से की जाती है और एक बार शिकायत दर्ज होने के बाद एक पंजीकरण संख्या उत्पन्न (जेनरेट) होती है, जिसका उपयोग शिकायत के समाधान की स्थिति को ट्रैक करने (जानने) के लिए किया जा सकता है ।
- यदि सदस्य जवाब से असंतुष्ट रहता है,तो सिस्टम शिकायत को उच्च प्राधिकारी के पास ले जाने की अनुमति देता है ।
- शिकायत के समाधान के लिए सख्त समय--सीमा निर्धारित की गई है ।
- EPFIGMS के अतिरिक्त CPGRAMS, जो कि भारत सरकार की पहल है, पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है ।
- वह संबंधित कार्यालय को आधिकारिक ई-मेल आई.डी.(ज) पर भी लिख सकता है,जो ई.पी.एफ.ओ की वेबसाइट https:/www.epfindia.gov.in/site –en /Contact php.,पर सार्वजानिक क्षेत्र में उपलब्ध है ।
- ई.पी.एफ.ओ के साथ सदस्यों के जुडाव को बढाने के लिए, ई.पी.एफ.ओ के प्रत्येक कार्यालय में प्रत्येक माह की 10 तारीख को "निधि आपके निकट" जो एक मासिक कार्यक्रम है, का आयोजन किया जाता है, जिसमें सदस्यों का न केवल अपनी शिकायतें उठाने के लिए बल्कि अपने सुझाव या प्रतिक्रिया देने के लिए भी स्वागत है ।

क. भ. नि. सं. से जुड़ें

व्हाट्स एप आधारित हेल्प लाइन – सह शिकायत निवारण तंत्र, जहाँ अंशदाता, नियोक्ता,और पेंशनर्स शिकायत दर्ज कर सकते हैं या किसी भी मुद्दे पर दिशा – निदेश खोज सकते है |

नियोक्ताओं, कर्मचारियों तथा पेंशनर्स की शिकायत के समाधान और उन्हें जागरूक करने के लिए फील्ड कार्यालयों द्वारा वेबिनरों का नियमित आयोजन |

शिकायतों का डिजिटल रूप से प्रबंधन करने हेतु समर्पित एवं सशक्त शिकायत पोर्टल – EPFiGMS.

सभी हितधारकों की सेवा के लिए फील्ड कार्यालयों में सुविधा केंद्र विद्यमान हैं |

उमंग मोबाइल एप, टोल फ्री कॉल सेंटर, www.epfindia.gov.in

समर्पित पोर्टल्स:
www.epfigms.gov.in,
www.pgportal.gov.in

सोशल मीडिया हैंडल्स :
Twitter at @socialepfo
Facebook at /socialepfo

जवाबदेह केंद्र

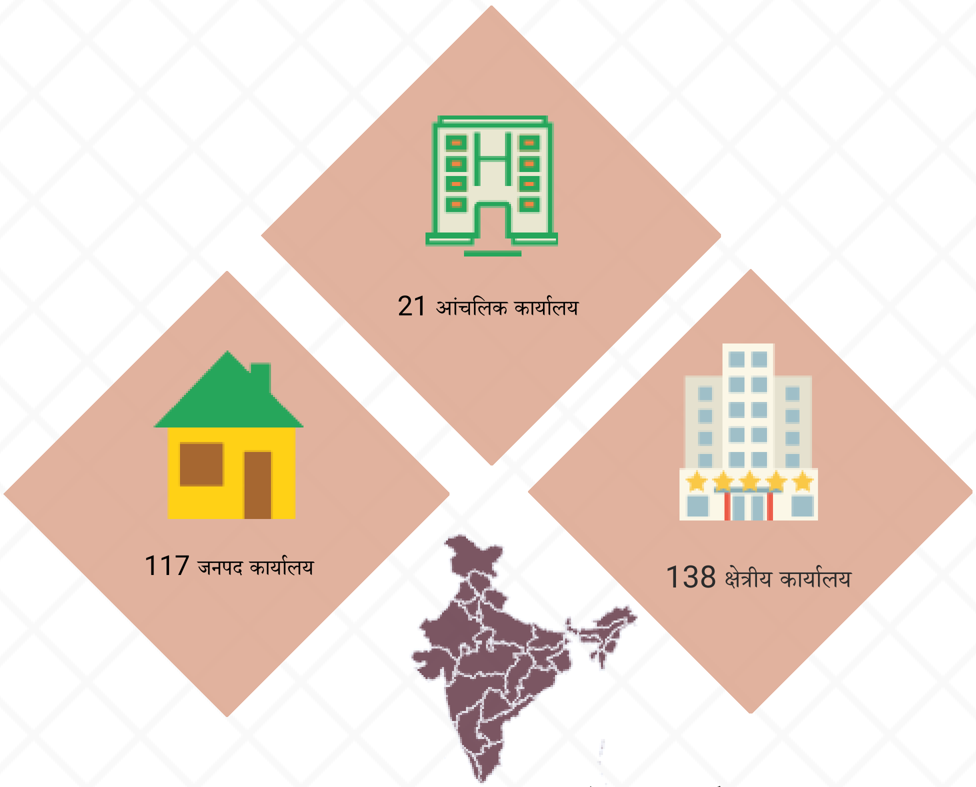

www.epfindia.gov.in

@socialepfo

/socialepfo

ई. पी. एफ. ओ. देशभर में मौजूद है |

इन कार्यालयों में ये जवाबदेह केंद्र हितधारकों तक पहुँचते हैं और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के विस्तार को सुनिश्चित करते हैं |

1st November 2022

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
श्रम एंव रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार नई दिल्ली

PANDIT DEENDAYAL UPADHYAYA NATIONAL ACADEMY OF SOCIAL SECURITY
Employees' Provident Fund Organization
Ministry of Labour & Employment
Government of India New Delhi